1 RCT-300828/2015 <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—300828 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—31.08.2015</u> फाईलिंग क.234503000722011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.

// <u>विरूद</u> //

1—दाउद उर्फ शर्मा पिता पालसिंह मरकाम, उम्र—32 वर्ष, जाति गोंड, 2—अशोक उर्फ पुन्नु पिता प्रतापसिंह तेकाम, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड, दोनों निवासी—वार्ड नंबर—13, सियारपाठ, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अभिर</u>

/ <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-18/05/2017 को घोषित)

1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—31.07.2015 एवं दिनांक—01.08.2015 की दरमियानी रात्रि थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर—15 कमलनगर न्यू पेट्रोल पम्प के सामने बैहर स्थित फरियादी दिलीप कुमार के आवासीय घर में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दिलीप के आधिपत्य से लकड़ी के तीन दरवाजे, लोहे के वजनी रिंग करीब 45 किलो, 4 थाली, एल्युमिनियम की एक गंजी, स्टील एवं लोहे की बाल्टी एक—एक नग, एक हथौड़ी, एक कुदाली, एक गैती उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2— प्रकरण में अभियुक्त विजय उर्फ भाउ की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक—22.03.2017 को प्रकरण की कार्यवाही समाप्त हुई है।

- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिलीप कुमार ने दिनांक—01.08.2015 को पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह वार्ड कमांक—15 कमलनगर न्यू पेट्रोल पम्प के सामने रहता है। उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए घरेलु सामान उपर के कमरे में रखा हुआ था। दिनांक—31.07.2015 को रात्रि लगभग 3:00 बजे फरियादी की मां ने उसे बताया था कि घर का दरवाजा खुला है सामान दिखाई नहीं दे रहा है। फरियादी ने जाकर देखा था कि लकड़ी के तीन दरवाजे, लाहे के रिंग वजनी 45 किलो, लोहे की बाल्टी, हथौड़ी, कुदाली, गैती इत्यादि घरेलु उपयोग के सामान चोरी हो गए थे, जो किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक—116/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।
- 4— अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्तगण का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वे निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।
- 6— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—31.07.2015 एवं दिनांक—01.08.2015 की दरमियानी रात्रि थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर—15 कमलनगर न्यू पेट्रोल पम्प के सामने बैहर स्थित फरियादी दिलीप कुमार के आवासीय घर में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दिलीप के आधिपत्य से लकड़ी के तीन दरवाजे, लोहे के वजनी रिंग करीब 45 किलो, 4 थाली, एल्युमिनियम की एक गंजी, स्टील एवं लोहे की बाल्टी एक—एक नग, एक हथौड़ी, एक कुदाली, एक गैती उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

[®]विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 व 2 का निराकरण :-

- 7— विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1 एवं 2 एक दूसरे से संबंधित है, इस कारण दोनों बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8— दिलीप कुमार डहरवाल अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना 3—4 माह पूर्व की है। साक्षी के घर पर चोरी हुई थी। चोरी किसने की थी, साक्षी को पता नहीं है। उक्त साक्षी के घर के दरवाज़े के पत्ले, पचास किलो लोहा रिंग, स्टील की बाल्टी, बर्तन थाली चोरी हो गए थे। इस कारण उसने थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के बताए अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। बाद में पुलिस ने साक्षी को सूचना दी थी कि उसका सामान प्राप्त हो गया है। सामान की शिनाख्ती के लिए साक्षी को थाने बुलाया था। सामान की शिनाख्ती की कार्यवाही पार्षद से कराई थी। साक्षी ने उसका सामान पहचान लिया था। भगतिसंह कुंजाम प्रधान आरक्षक अ.सा.6 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसने फरियादी दिलीप कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—116/2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी—1 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि फरियादी द्वारा उसके चोरी हुए सामान की कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की थी।

राजकुमार सिंह ठाकुर अ.सा.३ का कथन है कि उसे केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा को अभिरक्षा में लेकर साक्षी विनोद एवं बालचंद के समक्ष पूछताछ की थी, तब अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा ने उसके मेमोरेण्डम कथन में बताया था कि दिनांक-31.07.2015 को डहरवाल के मकान से चोरी किया गया सामान तीन नये दरवाजों के पल्ले, एल्युमिनियम गंजी, लाहे के रिंग, स्टील की थाली और लोहे की बाल्टी, कुदाली, गैती व फावड़ा में से दो दरवाजा पल्ला पटेल तालाब के पास झाड़ी में छुपाकर रखें हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूं। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3ए है, जिसके एं ऐसे ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु से साक्षियों के समक्ष उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम दिया था, जिसमें उसने बताया था कि चोरी किये सामान को बेचकर बराबर-बराबर बांटते हुए उसने दरवाजे का पल्ला पटेल तालाब के पास झाड़ी में छुपाकर रखा हैं, चलो निकालकर दे देता हूं। प्रदर्श पी—4 के मेमोरेण्डम पर साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु के हस्ताक्षर हैं एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर हैं।

10— राजकुमार सिंह ठाकुर अ.सा.3 का कहना है कि दिनांक—02.08.15 को समय 16:45 बजे अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा से अनुसंधान अधिकारी ने उपस्थित साक्षी विनोद एवं बालचंद के समक्ष दो दरवाजे के पल्ले जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—5 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा के हस्ताक्षर कराए थे एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे। उक्त दिनांक को 16:55 बजे अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु से उपस्थित साक्षी विनोद एवं बालचंद के समक्ष पटेल तालाब के पास झाड़ी से नया दरवाजा निकालकर देने पर जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने हस्ताक्षर

किये थे तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त व साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे। अभियुक्त विजय उर्फ भाउ के संबंध में प्रदर्श पी—7 का मेमोरेण्डम बनाया था तथा प्रदर्श पी—8 का पंचनामा बनाया था। अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा को प्रदर्श पी—9 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था एवं अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु को प्रदर्श पी—10 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। जप्तशुदा सामान की शिनाख्ती कार्यवाही पार्षद अशोक सोनी से विधिवत् करवाई थी।

अशोक कुमार सोनी अ.सा.2 का कथन है कि वह वार्ड नंबर-15 बैहर का पार्षद है। वह फरियादी को जानता है। साक्षी से फरियादी के सामान की पहचान कराई गई थी, जिसमें फरियादी ने उसका सामान सही होना बताया था। साक्षी ने शिनाख्ती मेमों प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। साक्षी से वार्ड नंबर-15 में कार्यवाही करवाई थी, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी-3 के शिनाख्ती मेमों में है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि शिनाख्ती कार्यवाही करते समय पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-3 साक्षी की हस्तलिपि में है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से शिनाख्ती कार्यवाही कराते समय की परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्श पी-3 शिनाख्ती की कार्यवाही पुलिस के कहने पर की गई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि शिनाख्ती में जो सामान की पहचान हुई थी, वह फरियादी दिलीप कुमार का नहीं था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि शिनाख्ती की कार्यवाही घटना के डेढ़-दो माह पश्चात् हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि जिस सामान की शिनाख्ती कराई गई थी, उनसे संबंधित मिलता-जुलता सामान नहीं मिलाया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पुलिस के बताए अनुसार बनाया है।

बालचंद अ.सा.4 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना वर्ष 2015 की है। फिरियादी दिलीप कुमार के घर से चोरी हुई थी, जिसकी जानकारी फरियादी दिलीप कुमार ने उसे दी थी। उसे फरियादी ने बताया था कि उसके घर से लोहे की बाल्टी, दरवाजा, कुदाली की चोरी हो गई थी। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर ले गई थी और उसके बयान लेख किये थे। अभियुक्तगण ने उसके सामने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3ए, 4 एवं 7 लेख कराया था, जिसमें अभियुक्तगण ने चोरी करना स्वीकार किया था। उपरोक्त प्रदर्श पी-3ए, 4 एवं 7 के सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा, अशोक उर्फ पुन्नु, विजय उर्फ भाउ से जप्ती की कार्यवाही की थी, जो प्रदर्श पी-5, 6 एवं 8 है, जिन पर क्रमशः सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने फरियादी दिलीप से शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई थी और उसने अपना सामान पहचान लिया था। शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी–3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9, 10 एवं प्रदर्श पी-11 बनाए थे, जिन पर क्रमशः सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा से दो दरवाजे के पल्ले किमती 5,000 / -रूपये, जिस पर पेंट से एस.एंड.डी लिखा हुआ था वह जप्त किया गया था। अभियुक्त अशोक से एक नग लकड़ी का दरवाजा जप्त किया था। अभियुक्त विजय से लोहे का रिंग, गैती, कुदाली इत्यादि सामान जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे फरियादी दिलीप ने बुलाया था, तब उसने देखा था कि दिलीप के घर का सामान चोरी हो गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जप्तशुदा सामान थाने में देखा था, यह सामान कैसे पहुंचा इसकी उसे जानकारी नहीं है।

13— साक्षी प्रकाश कुमार अ.सा.5 ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को नाम से नहीं जानता, चेहरे से पहचानता है। वह फरियादी दिलीप कुमार डहरवाल को पहचानता है। घटना वर्ष 2015 की है। उसके सामने तीनों अभियुक्तगण ने चोरी के संबंध में पुलिस को कुछ नहीं बताया था और न ही मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—7 के डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी—8 के जप्तीपंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने फरियादी दिलीप कुमार डहरवाल के घर हुई चोरी के विषय में उससे पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने जप्ती की कार्यवाही हुई थी, तभी उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी—12 के कथन पुलिस को न लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के कहने पर प्रदर्श पी—7 एवं प्रदर्श पी—8 में हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही उसके सामने नहीं की थी और न ही मेमोरेण्डम कथन लेख किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जन दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किये थे, उन्हें पढ़कर नहीं देखा था और न ही पढ़कर सुनाया गया था।

14— वीरेन्द्र चौधरी अ.सा.7 का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक—डेढ़ वर्ष पूर्व फरियादी दिलीप डहरवाल के घर की है। पुलिस ने चोरी करने वाले तीन अभियुक्तगण को पकड़ा था और उनसे चोरी गया सामान पकड़ा था। पुलिस ने अभियुक्तगण से उनका नाम पूछा तो उन्होंने ने अपना नाम दाउद उर्फ शर्मा, विजय उर्फ भाउ, अशोक उर्फ पुन्नु बताया था। उसके बाद पुलिस अभियुक्तगण को पकड़कर थाने ले गई थी। अभियुक्तगण ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने लोहे की राड, चौखट इत्यादि वस्तुओं की चोरी की थी। अभियुक्तगण ने चोरी का सामान तालाब के पीछे कचरे में छिपाना बताया था। अभियुक्तगण ने मेमोरेण्डम में चोरी करना स्वीकार किया था, इस संबंध में प्रदर्श पी—3ए का मेमोरेण्डम तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने

अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 लेख किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा, अशोक उर्फ पुन्नु से प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थीं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा एवं अशोक उर्फ पुन्नु को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक-21.07.2015 को अभियुक्तगण ने रात्रि 1:00 बजे फरियादी दिलीप कुमार के घर से लोहे की गंजी, स्टील की बाल्टी, कुदाली, गैती, हथौड़ी इत्यादि चोरी करना स्वीकार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण ने दरवाजे का पल्ला तालाब के किनारे झाड़ी में छिपाकर रखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा से दो नग दरवाजे के पल्ले जप्त किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु से पुलिस ने एक लकड़ी का दरवाजा जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के तीन-चार दिन बाद पुलिस उसे थाने बुलाकर ले गई थी, जहां पर कार्यवाही हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि तीन-चार दिन बाद पुलिस ने जहां हस्ताक्षर करने को कहा उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने जिन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर कराए थे, उनमें क्या लिखा था।

15— साक्षी दिलीप कुमार अ.सा.1 की साक्ष्य के अनुसार उसके घर से दरवाजे के पल्ले, 50 किलो लोहा रिंग, स्टील की बाल्टी इत्यादि सामान चोरी हुआ था। साक्षी अशोक कुमार सोनी पार्षद अ.सा.2 से पुलिस ने फरियादी दिलीप के सामान की शिनाख्ती कराई थी। साक्षी अशोक कुमार सोनी अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन किया है कि फरियादी

दिलीप कुमार ने उसका सामान सही होना पहचान लिया था। इस संबंध में शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-3 है। साक्षी राजकुमार सिंह ठाकुर अ.सा.3 की साक्ष्य के अनुसार उसने अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा का प्रदर्श पी-3ए का मेमोरेण्डम एवं अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु का प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम लिया था। मेमोरेण्डम के आधार पर फरियादी दिलीप के चोरी हुए दरवाजे के दो पल्ले लकड़ी के अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा से प्रदर्श पी-5 के जप्तीपंचनामा द्वारी जप्तीपंचनामा के साक्षी बालचंद एवं विनोद चौधरी के समक्ष जप्त किये थे एवं अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु द्वारा दिए गए प्रदर्श पी-4 के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रदर्श पी-6 के जप्ती पंचनामा द्वारा एक नग लकड़ी का नया दरवाजे का पल्ला जप्त किया था। प्रदर्श पी-3ए एवं प्रदर्श पी-4 के मेमोरेण्डम के स्वतंत्र साक्षी विनोद चौधरी एवं बालचंद ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा एवं अशोक उर्फ पुन्नु ने उनके समक्ष प्रदर्श पी-3ए एवं प्रदर्श पी-4 के मेमोरेण्डम दिए थे। मेमोरेण्डम के आधर पर इन साक्षीगण के सामने अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त अशोक उर्फ पुन्नु से एक नग लकड़ी का दरवाजा जप्त किया था।

16— अभियुक्तगण ने ऐसा कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके पास लकड़ी के तीन दरवाजे के पल्ले कहां से आए थे या सद्भाविक रूप से क्रय किये थे। अभियुक्तगण इस संबंध में कोई भी बचाव प्रस्तुत करने में असफल रहें हैं कि उनके पास लकड़ी के दरवाजे के पल्ले किस प्रकार आए थे, जो कि घटना दिनांक को फरियादी के आधिपत्य के मकान से चोरी हुए थे, इस कारण यह उपधारणा की जाती है कि अभियुक्तगण वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने घटना के समय फरियादी दिलीप कुमार के मकान के आधिपत्य की संपत्ति मकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर गृह अतिचार कर प्रच्छन्न रात्रौ गृह भेदन किया था एवं फरियादी की सहमति के बिना फरियादी के आधिपत्य के 3 दरवाजे के पल्ले

बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की थी। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—31.07.2015 एवं दिनांक—01.08.2015 की दरमियानी रात्रि में घटनास्थल फरियादी दिलीप कुमार के आवासीय घर में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार रात्री गृह भेदन कर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दिलीप के आधिपत्य से लकड़ी के तीन दरवाजे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

पश्चात् –

<u>//दंडाज्ञा//</u>

17— अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। चूंकि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। यद्यपि भारतीय दंड विधान की धारा—457, 380 के आरोप को एवं ऐसे समझौते को विधि के अंतर्गत अपराध के समन का आधार नहीं बनाया जा सकता है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने से उनके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। अभियुक्तगण को कारावासीय दंड दिया जाना उचित नहीं है। अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के उपबंधों का लाभ दिया जाना आवश्यक है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण न्यायालय के संतोषप्रद

10000—10000 / —दस—दस हजार रूपये के मुचलका इस आशय के प्रस्तुत करें कि वे आगामी दो वर्ष तक शांति व सदाचरण बनाये रखेंगे, किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे एवं न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर दंड भुगतने के लिए उपस्थित होंगे तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर मुक्त किया जावेगा।

18— अभियुक्तगण का धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 3 नये दरवाजों का लकड़ी का पल्ला, रिंग एवं रिंग की रॉड वजनी करीब 45 किलो, 1 कुदाली, 1 गैती, 1 एल्युमिनियम गंज, 4 स्टील की थाली, 1 स्टील की बाल्टी, 1 लोहे की बाल्टी, 1 हथौड़ी फरियादी की सुपुर्दगी पर हैं, सुपुर्दगीनामा अपील अपील अवधि पश्चात् फरियादी के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ते

(दिलीप सिंह) र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट